

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या : 141/2024 (मुक्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्री आयुष गुप्ता पुत्र श्री मनोज कुमार जाति महाजन, निवासी खादी भण्डार के सामने, बरसी, तहसील बरसी, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेश भीणा, तहसीलदार तूंगा, जिला जयपुर ग्रामीण,
2. श्रीमती गोपाली देवी पुत्री श्री रामनिवास पत्नी श्री दामोदर प्रसाद जाति महाजन, निवासी ग्राम बरसी, तहसील बरसी, जयपुर।

अप्रार्थीगण



मुक्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट 1955 बाबत तहसीलदार तूंगा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 08/2024 ब उनवानी गोपाली बनाम आयुष गुप्ता व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुक्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:-

1. श्री निर्मल कुमार जैन, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 20.08.2024

1. संक्षेप में मुक्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार तूंगा के समक्ष प्रकरण संख्या 08/2024 ब उनवानी गोपाली बनाम आयुष गुप्ता व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तूंगा से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री सचिन शर्मा ने उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र मय वकालतनाम पेश किया। टिप्पणी प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई, शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने एक अपील धारा 75 एल आर एक्ट विरुद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत तूंगा, जो कि उन्होंने नामान्तरण संख्या 1199 दिनांक 21.06.2023 में पारित किया गया था के विरुद्ध पेश की गई है। जिसमें न्यायालय ने अपील स्वीकार कर इस निर्देश के साथ अपीलान्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। इस आदेश के साथ पत्रावली तहसीलदार तूंगा को अंतरित की गई। तहसीलदार तूंगा उक्त प्रकरण में छोटी-छोटी तारीखे दे रहा है तथा प्रकरण में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तथा प्रकरण में निर्णय करने पर आमामादा है। प्रार्थी के न्यायालय में उपस्थित होने पर राजीनामों का दबाव बनाता है तथा कहता है कि राजीनामा कर लो वरना तुम्हारे खिलाफ फैसला कर दूंगा, जिससे

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)




प्रार्थी को यह पूर्ण अंदेशा हो गया है कि न्यायालय तहसीलदार तूंगा अप्रार्थीगण से मिला हुआ है तथा उनके पक्ष में प्रकरण का फैसला करने पर आमादा है। तहसीलदार तूंगा उक्त प्रकरण को बिन साक्ष्य सबूत लिए ही अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण गोपाली देवी एवं गोपाली देवी का पुत्र हर तारीख पेशी पर तहसीलदार के चेम्बर में बैठे रहते हैं तथा प्रार्थी से कहते हैं कि हम उक्त प्रकरण का फैसला हमारे पक्ष में करवाकर ही रहेंगे। प्रार्थी को तहसीलदार तूंगा से उक्त प्रकरण में न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। अतः न्यायहित में उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र राक्षम न्यायालय में अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

4. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का किसी प्रकार का हक और अधिकार विवादित संपत्ति में नहीं है, ऐन-कैन रूप से झूठे तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया ताकि अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का अपने हक अधिकार के न्याय में देरी हो, अतः प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
5. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का मलीगाति अवलोकन किया गया।
6. तहसीलदार तूंगा ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कोई बल नहीं पाते है। दौराने सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जाए। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए है और ना ही प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण को स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. निर्णय की प्रति उभय पक्ष हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।



निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(प्रकाश राजपुरोहित)
जयपुर (प्रकाश)